न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 74/2021 बउनवानी गिर्राज प्रसाद वर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर कोष कार्यालय के सामने कलेक्ट्रेट परिसर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/190

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.9.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को प्रेषित किया गया जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि आवेदक को साबिक ख0न0 513 नये ख0न0 1298,1290 कृषि भूमि 3 बीघा 12 बिस्वा खातेदार मिश्रा पुत्र दुर्गा जाति बैरवा ग्राम माणोली तहसील मलारना चौड सवाईमाधोपुर की खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सू.अ./2021/1296 दिनांक 23.9.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.7.2021 में चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक भू.अ./2021/5147 दिनांक 13.9.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि उक्त अवधि सम्वत् 2009,2010,2012 की खसरा परिवर्तनशील पी–14 मे साबिक ख0न0 513 से संबंधित इन्द्राज नही होने के कारण उक्त ख0न0 के संबंध में अपीलान्ट को सूचना दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना खसरा परिवर्तनशील (पी–14), सम्वत 2009,2010,2012 में खसरा नम्बर 513 का इन्द्राज नही होने के कारण अपीलान्ट को [illegible] नही करवायी गयी है। किन्तु अपीलान्ट की संतुष्टि के लिए पी–14 की पंजिका जिस[illegible] ख0न0 513 के आस–पास के ख0न0 का इन्द्राज किया हुआ हो कि प्रति [illegible] जाना उचित समझता हूँ। अतः तहसीलदार मलारना डूँगर को [illegible] किया जाता है कि अपीलान्ट [illegible] उक्तानुसार पी–14 पंजिका के पृष्ठ की प्रति 15 दिवस में उपल[illegible] करवायी जावे। उक्त [illegible] के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested